2

2.1 भूमिका
2.2 भारत में एमएसएमई की परिभाषा
2.3 भारत के ग्रामीण एमएसएमई
2.4 एमएसएमई को सरकार से सहायता
2.5 ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता में नाबार्ड की भूमिका
2.6 आगे की राह
2.7 निष्कर्ष

भारत का ग्रामीण एमएसएमई सेक्टर: समावेशी विकास का संवाहक

एमएसएमई क्षेत्र भारत के विनिर्माण और औद्योगिक विकास की रीढ़ है. एमएसएमई हमारे देश के आर्थिक विकास में रूपांतरकारी भूमिका निभाते हैं. हम इस क्षेत्र को विकसित करने और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

– माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी

2.1 भूमिका

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र लंबे समय से भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है. देश में 6.5 करोड़ एमएसएमई उद्यम सहायता प्राप्त पोर्टल (यूएपी) सहित उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जो 28 करोड़ से अधिक लोगों[1] को रोजगार देते हैं. देश के कुल आर्थिक उत्पादन का बड़ा हिस्सा इन उद्यमों से आता है. वर्तमान में इस क्षेत्र का महत्व काफी बढ़ गया है क्योंकि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)[2] में इसका महत्वपूर्ण योगदान है (30.1%). विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन का काफी हिस्सा इस क्षेत्र से आता है[3] (35.4%) और देश की निर्यात आय में भी इसकी बड़ी हिस्सेदारी (45.7%) है.[4] ये आँकड़े वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के भारत के विज़न को आगे बढ़ाने में इस क्षेत्र की अहम भूमिका को दर्शाते हैं.

हालाँकि जून 2025 तक यूएपी सहित उद्यम पोर्टल पर 6.5 करोड़ एमएसएमई पंजीकृत हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका पूरी तरह औपचारिकीकरण किया जा चुका है, क्योंकि उद्यमों का एक बड़ा हिस्सा - खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में - अब भी अनौपचारिक रूप से काम कर रहा है. अनुमान है कि 7.3 करोड़ से अधिक असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठान विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं (निर्माण को छोड़कर) में लगे हुए हैं, जो इस क्षेत्र की व्यापक अनौपचारिक प्रकृति को रेखांकित करता है.[5]

इस व्यापक परिदृश्य में भी ग्रामीण एमएसएमई विशेष रूप से प्रासंगिक हैं क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं और विकास पर गहरा असर डालते हैं. ये भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक-आर्थिक संरचना के साथ-साथ कृषि और शिल्पकला में गहरे रचे-बसे हैं. वे विकेंद्रीकृत औद्योगिकीकरण लाते हैं और गाँवों तथा उपनगरीय क्षेत्रों में संधारणीय आजीविका का सृजन करते हैं. ग्रामीण एमएसएमई रूप और कार्य में विविधतापूर्ण हैं - हथकरघा सहकारी समितियों और कृषि प्रसंस्करण इकाइयों से लेकर मरम्मत की दुकानों और कुटीर उद्योगों तक. ये उद्यम गाँवों और शहरों के बीच असामानता को कम करने और मजबूरीवश होने वाले पलायन को रोकने के साथ-साथ सुदृढ़ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करने में मदद करते हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण एमएसएमई लैंगिक सशक्तीकरण और समुदाय-आधारित उद्यमिता के लिए भी मंच प्रदान करते हैं, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं सहित हाशिए पर पड़े समूहों को आजीविका उपलब्ध कराते हैं.

अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी बढ़ती हुई महत्ता के बावजूद, ग्रामीण एमएसएमई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके उन्नयन और व्यापक बाजारों से उनके एकीकरण में बाधक हैं और उन्हें प्रतिस्पर्धी बनने से रोकती हैं.[6] इन समस्याओं में पर्याप्त वित्त तक पहुँच न होना, कमजोर आधारभूत संरचना, तकनीक के प्रयोग का अभाव और बाजार की अनुपलब्धता शामिल हैं. इसके अलावा, इन व्यवसायों की कुछ अन्य समस्याएँ हैं जो इनको और भी हाशिए पर डाल देती हैं. ये समस्याएँ हैं - इनका अनौपचारिक होना, अपेक्षित कौशल में कमी और विनियामकीय भार.

इस अध्याय में भारत में ग्रामीण एमएसएमई की व्यापक समझ प्रस्तुत करने के साथ-साथ उसकी क्षेत्रगत विशेषताओं, चुनौतियों, नीतिगत संदर्भ और भावी संभावनाओं को तलाशने का प्रयास किया गया है. इसमें, ग्रामीण एमएसएमई को सहयोग प्रदान करने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने में देश की शीर्ष विकास वित्त संस्था - नाबार्ड की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है. नाबार्ड अपने ऋण सहयोगों, क्षमता निर्माण के प्रयासों और संस्थागत भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण एमएसएमई के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थकारी संस्था के रूप में उभरा है. आज जब देश एक ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना कर रहा है, तो इसके समावेशी, संधारणीय और विकेंद्रीकृत आर्थिक रूपांतरण में ग्रामीण एमएसएमई की रणनीतिक मजबूती की अहम भूमिका होगी.

2.2 भारत में एमएसएमई की परिभाषा

उद्यमों के बीच आकार, पूँजी आधार और संचालन के संबंध में व्यापक विविधता को देखते हुए, एमएसएमई को बड़े पैमाने के उद्योगों से अलग करने के लिए एक स्पष्ट वर्गीकरण ढाँचे की आवश्यकता थी. एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा के तहत सेवा क्षेत्र को शामिल करके और निवेश और टर्नओवर के आधार पर संयुक्त वर्गीकरण मानदंड के माध्यम से मध्यम उद्यमों तक कवरेज बढ़ाकर एक बुनियादी बदलाव लाया गया.

उभरते आर्थिक परिदृश्य के साथ संरेखित करने तथा पूँजी, प्रौद्योगिकी और पैमाने तक एमएसएमई की पहुँच में सुधार करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2025-26 में निवेश और टर्नओवर की सीमाओं को फिर से संशोधित किया है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगी (तालिका 2.1).

तालिका 2.1: भारत में एमएसएमई की परिभाषा

श्रेणी	*निवेश की सीमा*	*टर्नओवर की सामा*
सूक्ष्म	₹2.5 करोड़ तक	₹10 करोड़ तक
लघु	₹25 करोड़ तक	₹100 करोड़ तक
मध्यम	₹125 करोड़ तक	₹500 करोड़ तक

स्रोत: भारत सरकार (2025), एमएसएमई-संबंधी प्रावधानों पर अधिसूचना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, दिनांक 21 मार्च. https://www.dcmsme.gov.in/Notification-S.O-no-1364-E-dated-21.03.2025-Revised-Definition.pdf.

यह संशोधित वर्गीकरण मानदंड सभी उद्यमों में समान रूप से लागू किया जाता है, तथा इसके तहत विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों शामिल हो जाते हैं. इस संशोधन का उद्देश्य एमएसएमई को अपने परिचालनों का उन्नयन करने, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और पूँजी तक उनकी पहुँच बढ़ाने में सहायता करना है. उम्मीद है कि इससे उनमें विकास की संभाव्यता बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे.

2.3 भारत के ग्रामीण एमएसएमई

2.3.1 ग्रामीण-शहरी विभाजन

हालाँकि एमएसएमई पूरे देश में कार्यरत हैं, फिर भी ग्रामीण और शहरी उद्यमों के बीच एक स्पष्ट अंतर मौजूद है. 'असंगठित विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्र के 734 लाख उद्यमों' में से लगभग 54% उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होते हैं, जो कृषि-प्रसंस्करण, डेयरी, हथकरघा और शिल्प जैसे कृषि से जुड़े सेक्टरों से संबंधित होते हैं (तालिका 2.2). ये उद्यम प्रायः सूक्ष्म पैमाने के, अनौपचारिक संरचना वाले और महिलाओं या स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के स्वामित्व वाले होते हैं.

तालिका 2.2: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई का श्रेणीवार वितरण (संख्या लाख में)

क्षेत्र	*सूक्ष्म*	*लघु*	*मध्यम*	*कुल*	*हिस्सा (%)*
ग्रामीण	397.2	0.3	0.01	397.5	54.2
शहरी	335.5	1.0	0.03	336.5	45.8
कुल	732.6	1.3	0.04	734.0	100.0

स्रोत: एमओएसपीआई (2024), असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2023-24, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, अक्तूबर 2023 - सितंबर 2024 में प्रस्तुत डेटा के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), 73वाँ संस्करण, "असंगठित गैर-कृषि उद्यम", 2015-16 (नवीनतम पूर्ण संस्करण) डेटा. https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ASUSE_2023_24_Full_Report-L.pdf.

2.3.2 ग्रामीण एमएसएमई की विशेषताएँ

ग्रामीण एमएसएमई का सेक्टर-वार विवरण

ग्रामीण एमएसएमई कई सेक्टरों में काम करते हैं, और अक्सर कृषि लिंकेज, स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाते हैं. कुछ प्रमुख सेक्टर इस प्रकार हैं:

- **कृषि-प्रसंस्करण**: अनाज, दलहन, डेयरी, मसाले, अचार और वनोपज के प्रसंस्करण से जुड़े उद्यम. ये विशेषत: महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में प्रमुखता से मौजूद हैं.

- **हथकरघा और हस्तशिल्प**: वस्त्र, बाँस के उत्पाद, मिट्टी के बर्तन, चमड़े के सामान और धातु शिल्प का उत्पादन करने वाले समूह - ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रचलित हैं.
- **खाद्य एवं पेय पदार्थ**: अचार, नमकीन, जैम, गुड़, पारंपरिक मिठाइयाँ और स्थानीय ब्रांडिंग के साथ पैकेज्ड खाद्य पदार्थों का घरेलू स्तर पर उत्पादन.
- **पशुपालन और संबद्ध गतिविधियाँ**: डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन और मत्स्यपालन आधारित उद्यम, जिन्हें अक्सर स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों से सहायता प्राप्त होती है.
- **ग्रामीण सेवाएँ**: छोटे शहरों और विकास केंद्रों में मोबाइल फोन की मरम्मत, सिलाई, हेयरड्रेसिंग, परिवहन और होटल आदि (हॉस्पिटैलिटी) जैसी सेवाएँ प्रदान करने वाले उद्यम.

आकार, पैमाना, और स्वामित्व

- **आकार और अनौपचारिक होने की स्थिति**: अधिकांश ग्रामीण एमएसएमई सूक्ष्म आकार के होते हैं, जिनमें अक्सर पाँच से कम कर्मचारी कार्यरत होते हैं. कई अनौपचारिक हैं, जो उद्यम पंजीकरण या जीएसटी संख्या के बिना संचालित होते हैं. उद्यम पोर्टल के अनुसार, कुल पंजीकृत उद्यमों में से 99% से अधिक सूक्ष्म उद्यम हैं, जबकि लघु और मध्यम उद्यम मिलाकर भी 1% से कम हैं.
- **स्वामित्व संरचना**:
  - **मालिकाना हक और पारिवारिक स्वामित्व**: यह स्वामित्व का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप है, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय सेवाओं और खुदरा व्यापार के मामले में.
  - **स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)**: महिलाओं के नेतृत्व वाले समूह जो अक्सर नाबार्ड समर्थित योजनाओं के तहत सामूहिक उद्यम में लगे होते हैं, जैसे- खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई या साबुन बनाना.
  - **सहकारिताएँ**: डेयरी (जैसे- गुजरात, कर्नाटक), हथकरघा (जैसे- तमिलनाडु, केरल) और आदिवासी वन उपज (जैसे- छत्तीसगढ़, झारखंड) में विशेष रूप से सक्रिय.
  - **कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)**: कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, और विपणन पर केंद्रित सामूहिक उद्यम का उभरता हुआ रूप.

विशिष्ट परिचालनगत विशिष्टताएँ

- **संसाधन आधारित उद्यम**: अधिकांश ग्रामीण एमएसएमई स्थानीय कृषि चक्रों या वन उपज की उपलब्धता पर निर्भर रहते हैं.
- **मौसमी परिचालन**: अनेक ग्रामीण उद्यम मौसम/ समय विशेष में कार्यशील होते हैं, जैसे वे उद्यम जो फसल उत्पादन/ कटाई या मौसम विशेष में पैदा होने वाली माँग पर निर्भर रहते हैं.
- **प्रौद्योगिकी का कम उपयोग**: हालाँकि स्मार्टफोन और डिजिटल भुगतान सुविधा की उपलब्धता बढ़ गई है, फिर भी अधिकांश ग्रामीण एमएसएमई बुनियादी उपकरणों का उपयोग करते हैं और उनमें मशीनीकरण कम हुआ है.
- **बाज़ारों से निकटता**: परिवहन और वितरण संबंधी समस्याओं के कारण ग्रामीण एमएसएमई आम तौर पर स्थानीय या आस-पास के बाज़ारों में ही अपने उत्पाद बेचते हैं. कुछ अपवाद भी हैं जहाँ नाबार्ड या राज्य की योजनाओं ने व्यापक बाज़ार पहुँच संभव बनाई है.

2.3.3 ग्रामीण एमएसएमई का आर्थिक और सामाजिक महत्व

ग्रामीण रोजगार, आजीविका विविधीकरण, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक मजबूती

ग्रामीण एमएसएमई, विशेष रूप से कम उत्पादकता और छोटी जोत वाले क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं. इस प्रकार ये उद्यम भारत के गैर-कृषि क्षेत्र में रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये उद्यम डेयरी, मुर्गीपालन, जलचर पालन, अनाज पिसाई, सिलाई, बढ़ईगिरी, खाद्य प्रसंस्करण और टेक्सटाइल क्षेत्रों में आजीविका के विविध अवसर प्रदान करते हैं. ग्रामीण श्रमिक-जनसंख्या के अनुपात 61.4% (बनाम शहरी 49.6%) को देखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में श्रम को बनाए रखने में इन उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है.[7]

कई ग्रामीण एमएसएमई स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित होते हैं तथा घरों से, मौसमी या अंशकालिक उद्यमों के रूप में संचालित होते हैं. ये महिलाओं और कमज़ोर समुदायों के लिए वास्तविक आर्थिक अवसर प्रदान करते हैं. लगभग 22% ग्रामीण एमएसएमई महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं,[8] जिनकी डेयरी, बुनाई, सिलाई और खाद्य-आधारित उद्यम जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी है. राष्ट्रीय स्तर पर, 26.2% असंगठित उद्यमों की मालिक महिलाएँ हैं, और असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी और भी अधिक 58.4% है.[9] युवाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है, खासकर डिजिटल सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत और परिवहन के क्षेत्र में.

सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी), आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) और सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) पहल नाबार्ड की ऐसी पहलें हैं जिनके तहत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के कौशल और उद्यम क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है. इन पहलों ने तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में महिला स्वयं-सहायता समूहों को सक्रिय आर्थिक इकाइयों में बदल दिया है. इन उद्यमों से होने वाली आय का उपयोग अक्सर परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है, जिससे परिवार का पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होता है. कई जिलों में, ग्रामीण एमएसएमई ने पूरे वर्ष स्थानीय रोजगार प्रदान करके मजबूरीवश होने वाले पलायन को रोकने में मदद की है, उदाहरण के लिए - असम में हथकरघा क्लस्टर और महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ.

ग्रामीण एमएसएमई, कम मुनाफे पर काम करते हुए भी, गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इनसे होने वाली आय अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है, जिसका गरीबी उन्मूलन में बहुआयामी योगदान है.

पारंपरिक हुनर और स्थानीय पहचान का संरक्षण

अपने आर्थिक योगदान के साथ-साथ ग्रामीण एमएसएमई पारंपरिक हुनर और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण करते हैं. बाँस शिल्प, हथकरघे पर बुनाई, मृत्तिका शिल्प (पॉटरी) और आदिवासी कला के क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों के क्लस्टर केवल आय अर्जक ही नहीं, बल्कि अपने समुदायों की विरासत का संरक्षण भी करते हैं.

नाबार्ड और अन्य एजेंसियों की सहायता से इन क्लस्टरों की ब्रांडिंग की गई है, इन्हें भौगोलिक संकेतक (जीआई) प्राप्त हुए हैं और व्यापार मेलों के माध्यम से इन्हें बाजार का एक्सपोज़र प्राप्त हुआ है. ये उपाय ग्रामीण जनता की आय बढ़ाने के साथ-साथ भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था और उसके सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करते हैं.

2.3.4 ग्रामीण एमएसएमई के समक्ष उपस्थित चुनौतियाँ

वित्त की सीमित उपलब्धता

सही समय और वहनीय लागत पर वित्त उपलब्ध न होना ग्रामीण एमएसएमई के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है:

- ग्रामीण एमएसएमई के लिए ऋण की आवश्यकता और उपलब्धता में अनुमानित अंतर 32% है. महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में यह अंतर 35% है जबकि पुरुषों के नेतृत्व वाले उद्यमों में यह अंतर 20% है. ऋण की इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकांश महिलाएँ ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहती हैं.[10]
- कई ग्रामीण उद्यम संपार्श्विक, क्रेडिट हिस्ट्री या पंजीकरण दस्तावेजों की कमी के कारण औपचारिक ऋण के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं.
- यदि ऋण उपलब्ध हो तो भी अक्सर उसकी अवधि, मात्रा कम होती है या वह उत्पादन आवश्यकताओं की बजाय उपभोग से जुड़ा होता है.
- इसके परिणामस्वरूप एमएसएमई का काफी बड़ा हिस्सा अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहता है जिसके कारण उन पर ब्याज का बोझ अधिक रहता है और उनकी विकास क्षमता प्रभावित होती है.

प्रौद्योगिकी का अभाव और निम्न उत्पादकता

ग्रामीण एमएसएमई के पास अक्सर अद्यतन मशीनरी, उत्पादन प्रक्रियाओं और डिजिटल उपकरणों का अभाव होता है:

- अधिकांश में मशीनों का प्रयोग कम होता है, जिससे गुणवत्ता, उत्पादकता और एकरूपता प्रभावित होती हैं.

- कई उद्यम ई-कॉमर्स मंचों, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर और डिजिटल अकाउंटिंग ऐप जैसे नई प्रौद्योगिकियों से या तो अनभिज्ञ हैं या उनमें प्रशिक्षित नहीं हैं.
- जहाँ जागरूकता मौजूद है, वहाँ भी खराब इंटरनेट सुविधा, उपकरणों की उच्च लागत और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण प्रौद्योगिकी अपनाने में बाधा आती है.

उक्त के परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी एमएसएमई की उत्पादकता में बड़ा अंतर होता है, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और हस्तशिल्प जैसे अधिक संभाव्यता वाले सेक्टरों में.

आधारभूत संरचनाओं की कमी

ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों के एमएसएमई को अभी भी बिजली, सड़क, और संचार सेवाओं जैसी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता के साथ-साथ उनका समग्र विकास भी बाधित होता है.[11] आधारभूत सरंचनाओं की कमी की समस्या अभी भी बनी हुई है:

- खराब सड़कों के कारण और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के अभाव से परिवहन लागत बढ़ जाती है और बाज़ार तक पहुँच सीमित हो जाती है.
- अनिश्चित बिजली आपूर्ति से उत्पादन कार्यक्रम प्रभावित होते हैं और अपव्यय बढ़ जाता है, विशेष रूप से उन उद्यमों में जो जल्दी खराब होने वाले उत्पादों पर आधारित होते हैं.
- किफायती कार्यस्थल, भंडारण और कोल्ड चेन की कमी से व्यवसाय विस्तार में बाधा आती है.
- ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क की कमी डिजिटल उपकरणों और सरकारी ई-सेवाओं तक पहुँच को बाधित करती है.

बाज़ार तक पहुँच और लिंकेज

ग्रामीण एमएसएमई को लाभदायक बाजारों तक पहुँचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:

- एकीकरण की प्रणालियों के अभाव से शक्ति सीमित होती है और बड़े पैमाने के लाभ भी नहीं मिलते.
- खराब पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मानकीकरण, जिससे उत्पाद बाजार में आकर्षक नहीं लगते और उनकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है.
- मार्केटिंग कौशल और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की कमी - विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म की - जिसके कारण कई उद्यम मौखिक प्रचार या कम मार्जिन वाले स्थानीय चैनलों पर निर्भर रहते हैं.
- प्रदर्शनियों या सार्वजनिक खरीद की प्रक्रियाएँ जटिल हैं और इस संबंध में मार्गदर्शन का अभाव है, जिसके कारण इनमें भागीदारी सीमित होती है.

कौशल और क्षमता में कमी

- ग्रामीण उद्यमियों को अक्सर औपचारिक व्यावसायिक पद्धतियों, जैसे बहीखातों का रख-रखाव, गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य निर्धारण रणनीतियों और कानूनी अनुपालन की जानकारी नहीं होती.
- विशिष्ट व्यवसायों (जैसे, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई और बढ़ईगिरी) से संबंधित तकनीकी कौशल पारंपरिक तरीकों तक ही सीमित हैं.
- जागरूकता की कमी, आवा-गमन संबंधी समस्याओं (विशेषकर महिलाओं के लिए) या असंगत पाठ्यक्रमों के कारण औपचारिक कौशल कार्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थी कम आते हैं.

महिला-विशिष्ट चुनौतियाँ

महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई की अपनी अलग चुनौतियाँ होती हैं:

- घरेलू ज़िम्मेदारियों के कारण समय की कमी और कहीं आने-जाने में समस्या.
- वित्त प्राप्त करने में कठिनाई, विशेष रूप से पुरुष गारंटर या संपत्ति का स्वामित्व न होने के कारण.
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मार्केटिंग नेटवर्क में कम भागीदारी.
- औपचारिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम प्रतिभागिता.

मुद्रा के अंतर्गत महिला-विशिष्ट ऋण उत्पाद और नाबार्ड के एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम जैसे लक्षित प्रयासों से इस दिशा में मदद मिली है, लेकिन अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है. नाबार्ड के प्रशिक्षण और सहायता प्रयासों, विशेष रूप से एलईडीपी का लक्ष्य इसी कमी को दूर करना है.

2.4 एमएसएमई को सरकार से सहायता

भारत सरकार ने समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए इसे सुदृढ़ करने के लिए पहलों की एक व्यापक शृंखला कार्यान्वित की है. ये प्रयास दर्शाते हैं कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, वित्त और प्रौद्योगिकी तक पहुँच में सुधार लाने तथा घरेलू और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एमएसएमई को एकीकृत करने पर रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलें एमएसएमई को आवश्यक डिजिटल क्षमताओं और आधारभूत संरचना से लैस कर रही हैं. इसके अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय के नेतृत्व में 'निर्यात हब के रूप में जिले' पहल का लक्ष्य ई-कॉमर्स निर्यात का संवर्धन करना है, जिससे एमएसएमई विकास के लिए एक गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है.

इन व्यापक पहलों को उन प्रमुख कार्य क्षेत्रों के तहत समूहीकृत किया जा सकता है जो एमएसएमई की मुख्य आवश्यकताओं के साथ संरेखित हैं, जिसमें रोजगार सृजन, वित्त तक पहुँच, आधारभूत संरचना विकास, बाजार एकीकरण, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और क्षेत्र-विशिष्ट सहयोग शामिल हैं.[12]

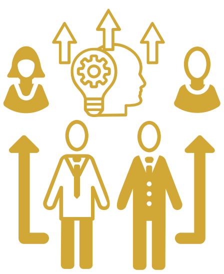

1. रोजगार सृजन और कौशल विकास

क. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी): एक ऋण-आधारित सब्सिडी योजना जो गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु सहयोग प्रदान कर रोजगार का संवर्धन करती है. विनिर्माण इकाइयों हेतु ₹50 लाख और सेवा इकाइयों हेतु ₹20 लाख तक के ऋणों के लिए मार्जिन राशि सब्सिडी (15 से 35%) प्रदान की जाती है.

ख. उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी): नए उद्यमों के संवर्धन तथा मौजूदा एमएसएमई के क्षमता निर्माण हेतु तैयार की गई यह योजना विभिन्न व्यवसायों के लिए (i) एकदिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, (ii) छह सप्ताह का उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ई-एसडीपी) और (iii) एक सप्ताह का उन्नत ई-एसडीपी प्रस्तुत करती है.

ग. प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता की योजना: आधारभूत संरचना विकास तथा उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं[13] को पूँजी अनुदान, तथा राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थाओं को भी ₹3.00 करोड़ तक पूँजी अनुदान प्रदान करती है.

घ. कॉयर विकास योजना: समग्र उद्योग के विकास के लिए कॉयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक योजना. उप-योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (अनुसंधान एवं विकास)
- ii. कौशल उन्नयन
- iii. महिला कॉयर योजना
- iv. निर्यात और घरेलू बाज़ार संवर्धन
- v. व्यापार एवं उद्योग संबंधी कार्यात्मक सहायता सेवाएँ

च. नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन योजना: आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों (एलबीआई) के स्थापन, तथा संयंत्र, मशीनरी (सरकारी एजेंसियों हेतु ₹1 करोड़; निजी एजेंसियों हेतु ₹75 लाख), और परिचालन लागत (सरकारी एजेंसियों और निजी एजेंसियों के लिए ₹1 करोड़) हेतु निधीयन के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को सहयोग प्रदान करती है.

छ. टूल रूम और तकनीकी संस्थान: टूलिंग सुविधाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उत्पाद विकास, और परामर्श सेवाएँ प्रदान कर एकीकृत क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

2. वित्तीय सहायता और ऋण सहयोग

क. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना: संपार्श्विक-मुक्त और अन्य पक्ष की गारंटी के बिना ऋण प्रदान करती है.

ख. अन्य ऋण गारंटी योजनाओं में शामिल है:

- i. एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना
- ii. स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना
- iii. सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि
- iv. स्टैंड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी योजना
- v. फैक्टरिंग के लिए ऋण गारंटी निधि योजना

ग. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि: प्रगति, नवोन्मेष और रोजगार सृजन को सहयोग प्रदान करने के लिए इक्विटी, अर्ध-इक्विटी और ऋण के माध्यम से सहायक निधियों से एमएसएमई के लिए पूँजी पहुँचाने हेतु लक्षित.

घ. एमएसएमई के कार्यनिष्पादन को बढ़ाना और तेज़ करना: विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो बेहतर पहुँच, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और केंद्र-राज्य सहयोग के माध्यम से बाज़ारों, वित्त और प्रौद्योगिकी तक एमएसएमई की पहुँच बढ़ाती है.

ङ. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: गैर-कृषि उद्यमों, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर पड़े उद्यमियों को संपार्श्विक-मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करती है. ऋण श्रेणियों में शामिल हैं:

- i. शिशु: ₹50,000 तक
- ii. किशोर: ₹50,000 से ₹5 लाख
- iii. तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख
- iv. तरुण प्लस: ₹10 लाख से ₹20 लाख

च. मौजूदा पीएमईजीपी/ मुद्रा इकाइयों के उन्नयन हेतु दूसरा ऋण - 15% की सब्सिडी सहित [पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में 20%] संवर्धन और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहयोग प्रदान करता है. शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है.

3. क्लस्टर विकास और आधारभूत संरचना

क. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम - निम्नलिखित के माध्यम से संधारणीयता और प्रतिस्पर्धा का संवर्धन:

- i. साझा सुविधा केंद्र - ₹30 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए 80% तक सहायता.
- ii. आधारभूत संरचना विकास - ₹15 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए 70% तक सहायता.

ख. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना

- i. सामूहिकता, मूल्य वर्धन, और पारंपरिक उद्योगों में संधारणीय रोजगार का संवर्धन.
- ii. सरकार से सहयोग - ₹2.5 करोड़ तक (500 या उससे कम कारीगरों हेतु); ₹5 करोड़ (500 से अधिक कारीगरों हेतु)

ग. पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन: निम्नलिखित के लिए 90% वित्तीय सहायता के माध्यम

से आधारभूत संरचना विकास को सहयोग प्रदान करना:

i. मिनी प्रौद्योगिकी केंद्र - ₹13.5 करोड़ तक

ii. नए/ मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र - ₹13.5/ ₹9 करोड़ तक

iii. पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाएँ - ₹4.5 करोड़ तक

iv. भवन निर्माण लागत - ₹1 करोड़ तक (भूमि लागत के अलावा)

4. विपणन और निर्यात संवर्धन

क. खरीद और विपणन सहायता योजना: निम्नलिखित के माध्यम से बाज़ार तक पहुँच में सुधार लाने का लक्ष्य:

i. व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता, तथा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, पैकेजिंग और निर्यात प्रक्रियाओं पर जागरूकता उत्पन्न करना.

ii. भौगोलिक संकेतक उत्पादों के लिए क्षमता निर्माण में वृद्धि और खुदरा दुकानों का विस्तार.

ख. अंतरराष्ट्रीय सहकारिता योजना: निम्नलिखित के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों और बाज़ार तक पहुँच में एमएसएमई सहभागिता हेतु सुविधा प्रदान करती है:

i. बाज़ार विकास सहायता

ii. पहली बार निर्यात करने वाले एमएसई निर्यातकों का क्षमता निर्माण

iii. अंतरराष्ट्रीय बाज़ार आसूचना प्रसार

ग. राष्ट्रीय एससी-एसटी हब योजना: निम्नलिखित के माध्यम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सहयोग प्रदान करती है:

i. 25% पूँजी सब्सिडी (₹25 लाख तक)

ii. सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के तहत मार्गदर्शन, विपणन और अधिप्राप्ति सहयोग

5. नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी उन्नयन

एमएसएमई चैंपियंस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और वैश्विक पहुँच हेतु सहयोगों को एकीकृत और समन्वित करना है:

i. एमएसएमई - सस्टेनेबल (ज़ेडईडी): उच्च-गुणवत्ता, पर्यावरणीय रूप से अनुकूल विनिर्माण का प्रोत्साहन.

ii. एमएसएमई - इनोवेटिव: उद्भवन, आईपीआर और डिजाइन को सहयोग.

iii. एमएसएमई - कंपीटिटिव (लीन): बेहतर दक्षता हेतु लीन विनिर्माण तकनीकों का संवर्धन.

6. सेक्टर-विशिष्ट योजनाएँ

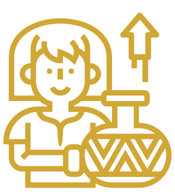

क. खादी ग्रामोद्योग विकास योजना

i. आधुनिकीकृत आधारभूत संरचना, कौशल पुनरुत्थान, विपणन और निर्यातों के माध्यम से खादी कारीगरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि.

ii. उप-योजनाएँ: खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना.

ख. पीएम विश्वकर्मा योजना: पारंपरिक कारीगरों की पहचान करना और निम्नलिखित के माध्यम से उन्हें सशक्त करना:

i. कौशल विकास और आधुनिक उपकरण,

ii. दो किस्तों में प्रदत्त ₹3 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त ऋण (₹1 लाख + ₹2 लाख), और

iii. ब्याज अनुदान, डिजिटल प्रोत्साहन और बाजार संपर्क.

7. एमएसएमई पोर्टल

क. उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल: पैन और जीएसटीआईएन का उपयोग कर पेपरलेस एमएसएमई पंजीकरण हेतु आधिकारिक प्लैटफॉर्म, जो एक स्थायी पहचान संख्या और प्रमाणपत्र प्रदान करता है.

ख. उद्यम एसिस्ट प्लैटफॉर्म: अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को पंजीकरण कराने और परिचालन को औपचारिक बनाने हेतु सुविधा प्रदान करता है.

ग. अन्य एमएसएमई पोर्टल:

i. माई एमएसएमई पोर्टल

ii. एमएसएमई समाधान

iii. एमएसएमई संबंध

iv. एमएसएमई चैम्पियन्स पोर्टल

v. एमएसएमई संपर्क पोर्टल

8. नीतिगत फ्रेमवर्क

एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति (2018): केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उद्यमों द्वारा की जाने वाली अधिप्राप्ति का 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से प्राप्त किए जाने को अनिवार्य करती है. इस आरक्षण के तहत 4% एससी/ एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई हेतु, तथा 3% महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई हेतु आरक्षित है.

2.5 ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता में नाबार्ड की भूमिका

संधारणीय और समावेशी ग्रामीण विकास संवर्धन के अपने अधिदेश का पालन करते हुए, नाबार्ड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र के लिए अपनी सहायता को उत्तरोत्तर विस्तारित करता आ रहा है. रोज़गार सृजन और आय विविधीकरण में ग्रामीण उद्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, नाबार्ड ने अपने सहयोगों को भी इस पारिस्थितिकी-तंत्र के सुदृढ़ीकरण के अनुरूप ढाला है. एक शीर्षस्थ विकास वित्त संस्था के रूप में नाबार्ड वित्त, क्षमता निर्माण और संस्था निर्माण के मिलन बिंदु पर कार्य करता है, जो इसे एमएसएमई पारिस्थितिकी-तंत्र के क्षमता निर्माण का एक प्रमुख साझेदार बनाता है.

नाबार्ड के इन प्रयासों को और अधिक अवलम्ब तब मिला जब दिनांक 02 जनवरी 2018 को पारित नाबार्ड (संशोधन) विधेयक के माध्यम से नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन हुआ. मूलभूत अधिनियम के तहत नाबार्ड उन उद्योगों को ऋण और अन्य संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत था जिनका मशीनरी और संयंत्र में निवेश ₹20 लाख तक हो. इस संशोधन ने इस सीमा को विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों हेतु ₹10 करोड़ तक और सेवा क्षेत्र के उद्यमों हेतु ₹5 करोड़ तक बढ़ा दिया. पूर्ववर्ती अधिनियम नाबार्ड के निदेशक मंडल और सलाहकार परिषद में लघु-उद्योगों से विशेषज्ञों को शामिल करता था, और साथ ही लघु, अति-लघु और विकेंद्रीकृत क्षेत्र के उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति देता था. संशोधित अधिनियम ने इन प्रावधानों को एमएसएमई को भी कवर करने के लिए विस्तारित किया.

नाबार्ड अधिनियम, 1981 में किए गए संशोधन की मुख्य बातें निम्नानुसार है:

क) 'लघु उद्योग, अति-लघु और विकेंद्रीकृत क्षेत्र के उद्योग, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प के क्षेत्र में शामिल उद्योग' को 'ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग और हस्तशिल्प, हथकरघा और अन्य ग्रामीण शिल्पों में शामिल अन्य उद्योग' से प्रतिस्थापित किया गया.

ख) 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' के वही अर्थ होंगे, जो उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में क्रमशः सौंपे गए हैं.

इस प्रकार एमएसएमई पारिस्थितिकी-तंत्र का विकास नाबार्ड के मूल अधिदेशों में से एक है, जो उसके विकासात्मक और व्यावसायिक सहयोगों में प्रतिबिंबित में होता है.

ऋण प्रवाह का संवर्धन करने, निवेश उत्प्रेरित करने, रोजगार सृजन करने, सामूहिकीकरण को सहयोग प्रदान करने, आजीविकाओं को बेहतर बनाने और एमएसएमई में संधारणीय आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने के नाबार्ड के दृष्टिकोण के प्रमुख स्तंभ है - बैंकों हेतु वित्तीय सहायता तथा विकासात्मक सहयोग.

इस संशोधन ने एमएसएमई हेतु नाबार्ड के पुनर्वित्त सहयोग के दायरे का विस्तार किया है, और इस प्रकार संस्था की समावेशी ग्रामीण औद्योगिक विकास को सुविधा प्रदान करने की क्षमता को बेहतर बनाया है.

नाबार्ड के एमएसएमई संबंधी सहयोग केंद्र सरकार की नीतियों के अनुरूप है, जिनका लक्ष्य उद्यम आधारित विकास का संवर्धन करना, ग्रामीण रोजगार का सृजन करना, आय बढ़ाना, कार्यबल को कृषि से एमएसएमई की ओर ले जाने में सहयोग करना, और संकट प्रवास को कम करना है. प्रमुख हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारियों, सहमति ज्ञापनों, तथा लक्षित क्षमता-निर्माण प्रयासों के माध्यम से नाबार्ड ने वित्तीय सहायता, विकासात्मक कार्यक्रमों और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के प्रभावी सम्मिश्रण के माध्यम से ग्रामीण एमएसएमई की सहायता करना जारी रखा है (तालिका 2.3).

तालिका 2.3: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता हेतु नाबार्ड के सहयोग

1. वित्तीय सहायता	
फोकस क्षेत्र	*विवरण*
पूँजी और पुनर्वित्त तक पहुँच	एमएसएमई की पूँजी तक पहुँच और निवेश हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए पात्र वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने का प्रावधान. पहुँच में सुधार लाने के लिए बैंकों और अन्य ऋणदाताओं के साथ सहयोगात्मक कार्रवाई.
ऋण आयोजना	हितधारकों के साथ परामर्श से जिला-स्तरीय संभाव्यता-युक्त ऋण योजनाओं (पीएलपी) का उपयोग कर तैयार किए गए एमएसएमई के लिए ऋण अनुमान, जिससे दोहनयोग्य क्षेत्र की संभाव्यता चिह्नित की जा सके.
एमएसएमई गतिविधियों के लिए एसआरएस	(i) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, (ii) वाटरशेड और वाड़ी परियोजना क्षेत्रों, (iii) एमएससी के रूप में पैक्स का रूपांतरण, (iv) एआईएफ़ के तहत आधारभूत संरचना, और (v) आकांक्षी जिलों और कम पीएसएल वाले जिलों के लिए लक्षित पुनर्वित्त योजनाओं का कार्यान्वयन.
सब्सिडी संवितरण हेतु चैनल	एससी/ एसटी उद्यमियों हेतु एससीएलसीएसएस के तहत सब्सिडी संवितरित करने हेतु नोडल संस्था के रूप में कार्यरत.
सहायक संस्थाओं के माध्यम से सहयोग	(i) नैबसमृद्धि द्वारा हरित वित्त, स्वास्थ्यवर्धन, परिधान और हस्तशिल्पों में एमएसएमई हेतु वित्तपोषण. (ii) नैबकिसान द्वारा एफ़पीओ हेतु वित्तपोषण. (iii) नैबवेंचर्स द्वारा स्टार्ट-अप्स हेतु सहयोग.
क्षेग्रा बैंकों के माध्यम से एमएसएमई ऋण वितरण	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से एमएसएमई क्लस्टरों के साथ शाखाओं की मैपिंग और विशेष रूप से तैयार ऋण उत्पादों की शुरुआत, जिससे वित्तीय वर्ष 2024 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो में 17.6% की वृद्धि कर पोर्टफोलियो ₹57,890 करोड़ तक पहुँचाने में सक्षम बनाया गया.
2. विकासात्मक सहयोग	
फोकस क्षेत्र	*विवरण*
कौशल और उद्यमिता विकास	कौशल विकास पहलों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता और सूक्ष्म-उद्यम सृजन का संवर्धन, विशेष रूप से महिलाओं और सीमांत समुदायों के लिए. एमईडीपी और एलईडीपी जैसे सहयोगी कार्यक्रम.
तकनीकी और क्लस्टर सहयोग	प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता में सुधार और विपणन को सक्षम बनाना. कृषक उत्पादक संगठनों/ कृषीतर उत्पादक संगठनों के गठन, डीपीआर मोड की परियोजनाओं और पर्यटन-सहबद्ध मॉडलों के माध्यम से उत्पादकों के समूहों, विशेष रूप से हथकरघा और हस्तशिल्पों को सहयोग प्रदान करना.
विपणन सहयोग	रुरल हाट, मोबाइल मार्ट, प्रदर्शनियों, एम-सुविधा, और इसी प्रकार की अन्य पहलों के माध्यम से ग्रामीण उत्पादकों हेतु बाज़ार तक पहुँच प्रदान करना. वित्तीय सेवाएँ विभाग के साथ मिलकर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में 116 जीआई उत्पादों और 22 कृषीतर उत्पादक संगठनों का प्रदर्शन.
आईपीआर और सांस्कृतिक धरोहर	जीआई से संबंधित पंजीकरण-पूर्व और पंजीकरण-पश्चात् गतिविधियों हेतु सहयोग तथा जीआई सुविधा केंद्रों की स्थापना.
स्टार्टअप और नवोन्मेष पारिस्थितिकी-तंत्र	आरबीआईसी (अभी तक 10 को सहयोग प्रदत्त) के स्थापन के माध्यम से, तथा प्रोटोटाइप/ न्यूनतम व्यवहार्य उत्पादों वाले स्टार्ट-अप्स के लिए उत्प्रेरक पूँजी निधि के परिचालन के माध्यम से नवोन्मेष का संवर्धन.
योजना अभिसरण	केंद्रीय और राज्य-स्तरीय एमएसएमई योजनाओं के साथ संरेखण और एकीकरण हेतु जिला औद्योगिक केंद्रों के साथ मिलकर कार्य करने वाले जिला विकास प्रबंधकों द्वारा योजना अभिसरण.

3. सहयोग और रणनीतिक साझेदारियाँ	
फ़ोकस क्षेत्र	*विवरण*
सहमति ज्ञापन और साझेदारियाँ	निम्नलिखित संस्थाओं के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित: • एनआरएलएम के साथ, एसएचजी के उद्यमियों के रूप में रूपांतरण हेतु सहयोग प्रदान करने हेतु. • एनएससीएफ़डीसी, एनबीसीएफ़डीसी और एनएसकेएफ़डीसी के साथ, सीमांत समुदायों को कौशल उन्नयन और वित्त के माध्यम से सहयोग प्रदान करने हेतु.
सेक्टोरल संवर्धन गतिविधियाँ	पीएचडीसीसीआई, एसोचेम, और स्टार्टअप मिशनों जैसे संगठनों द्वारा आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ जैसी संगोष्ठियों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों का प्रायोजन.
एफपीओ क्षमता निर्माण	कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए नाबार्ड एफपीओ एक्सेलरेटर कार्यक्रमों पर काम कर रहा है.

एआईएफ़ = कृषि आधारभूत संरचना निधि, एसोचेम = भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, सीएलसीएसएस = ऋणयुक्त पूँजी सब्सिडी योजना, डीएफ़एस = वित्तीय सेवाएँ विभाग, डीपीआर = विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ईडीपी = उद्यमिता विकास कार्यक्रम, एफ़पीओ = कृषक उत्पादक संगठन, जीआई = भौगोलिक संकेतक, एलईडीपी = आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, एमईडीपी = सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम, एमएससी = बहु-सेवा केंद्र, एमएसएमई = सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, एनबीसीएफ़डीसी = राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, एनआरएलएम = राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एनएससीएफ़डीसी = राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, एनएसकेएफ़डीसी = राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, पैक्स = प्राथमिक कृषि ऋण समिति, पीएचडीसीसीआई = पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, पीएलपी = संभाव्यतायुक्त ऋण योजना, पीएसएल = प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण, आरबीआईसी = ग्रामीण व्यवसाय उद्भवन केंद्र, क्षेग्रा बैंक = क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एससीएलसीएसएस = विशेष ऋणयुक्त पूँजी सब्सिडी योजना, एसएचजी = स्वयं-सहायता समूह, एसआरएस = विशेष पुनर्वित्त योजना, वाड़ी = बागान-आधारित आजीविका कार्यक्रम, वॉश = जल, स्वच्छता और आरोग्य.

2.6 आगे की राह

विकसित भारत @ 2047 के स्वप्न को साकार करने के लिए अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों से ऊर्जावान योगदानों के साथ एक सुदृढ़ और गतिशील आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र का होना आवश्यक है. इस ढाँचे के तहत समावेशी और संधारणीय वृद्धि के संवाहक के रूप में एमएसएमई में अपार संभावनाएँ हैं. उनमें विद्यमान स्फूर्ति, स्थानीय ग्रमीण क्षेत्रों की अति गहन समझ - विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में - और उनकी उद्यमिता को आगे बढ़ाने की भावना उन्हें भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त एजेंटों के रूप में स्थापित करती है.

इस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए वित्त, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी और बाज़ार एकीकरण से संबंधित सहयोगों के एक समन्वित समूह के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों और एमएसएमई की वृद्धि को बढ़ाना आवश्यक है.

नाबार्ड एक संधारणीय और प्रतिस्पर्धी ग्रामीण एमएसएमई परिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है. उसकी नवोन्मेषी रणनीतियाँ और लक्षित पहलें ग्रामीण उद्यमों को उनकी स्थानीय प्रासंगिकता बनाए रखते हुए वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती हैं. प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कौशल और उद्यमिता विकास**: स्थानीय प्रतिभा के संपोषण, रोजगार अवसरों के सृजन और महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के संवर्धन हेतु नाबार्ड कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करता है.
- **आधारभूत संरचनाएँ और डिजिटलीकरण**: आधुनिक आधारभूत संरचनाओं और डिजिटल उपकरणों में निवेश ग्रामीण एमएसएमई परिदृश्य का रूपांतरण कर रहा है, जिससे एमएसएमई को एक मजबूत डिजिटल फुटप्रिंट के निर्माण में, तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में और अधिक प्रभावशाली रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सहयोग मिला. नाबार्ड लघु उद्यमों के लिए विशेष रूप से तैयार डिजिटल समाधानों का संवर्धन करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - मौजूदा उपकरण और मशीनरी में डिजिटल उन्नयन
  - ई-कॉमर्स के मंचों के साथ एकीकरण
  - डिजिटल भुगतान प्रणालियों और डिजिटल ऋण-वितरण मॉडलों को अपनाना.
- **उद्भवन और मार्गदर्शन**: नाबार्ड एमएसएमई को औद्योगिक विशेषज्ञों, सफल उद्यमियों और सहयोग मंचों के साथ जोड़कर उद्भवन और मार्गदर्शन

परिस्थितिकी तंत्रों को आगे बढ़ाता है. हाइब्रिड (भौतिक और डिजिटल) उद्भवन केंद्र और सहकर्मी-शिक्षण समुदाय, उद्यमों को प्रगति और नवोन्मेष हेतु आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करते हैं.

- **क्लस्टर विकास**: समुच्चयन मॉडलों से सहयोग-प्राप्त ग्रामीण एमएसएमई क्लस्टरों का विकास संसाधन दक्षता, साझेदारी आधारभूत संरचना और सामूहिक समस्या-समाधान का संवर्धन करता है. क्लस्टर-आधारित मूल्य शृंखलाएँ स्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकरण हेतु सुविधा प्रदान करती है.
- **विपणन सहायता**: नाबार्ड ब्रांडिंग, प्रचार और ग्राहक सहभागिता हेतु डिजिटल साधनों के प्रयोग का संवर्धन करते हुए व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता के माध्यम से बाज़ारों तक पहुँच को बेहतर बनाने में एमएसएमई की सहायता करता है.
- **वित्त तक सुगम पहुँच**: ग्रामीण ऋण के अंतराल को दूर करने के लिए नाबार्ड विशेषीकृत वित्तीय उत्पादों और डिजिटल ऋण-वितरण मंचों तक पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करता है, जहाँ असेवित और अल्पसेवित उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
- **पर्यावरणीय संधारणीयता**: राष्ट्रीय संधारणीयता लक्ष्यों के अनुरूप नाबार्ड ग्रामीण एमएसएमई में हरित प्रौद्योगिकियों और संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने वाली व्यावसायिक प्रथाओं का संवर्धन करता है, जिससे उनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हो सके और दीर्घकालिक व्यवहार्यता में वृद्धि हो सके.
- **सहयोग और अभिसरण**: सार्वजनिक और निजी हितधारकों के साथ साझेदारियों का संपोषण कर नाबार्ड ग्रामीण एमएसएमई हेतु संसाधन आधार का विस्तार करता है, पूँजी, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचनाओं और बाज़ारों तक पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करता है. ये सहयोग समग्र एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाते हैं और समावेशी प्रगति को बढ़ावा देते हैं.

2.7 निष्कर्ष

रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाते हुए, देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करते हुए एमएसएमई सेक्टर का निरंतर विस्तार हो रहा है. हालाँकि सरकार की पहलों और संस्थागत साझेदारियों ने एमएसएमई के लिए एक समर्थकारी परिवेश का निर्माण किया है, फिर भी किफ़ायती ऋण तक सीमित पहुँच और प्रौद्योगिकी अपनाने में आने वाली विद्यमान अंतरालों जैसी चुनौतियाँ यथावत् बनी हुई हैं.

इन बाधाओं को पार करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी - एक ऐसा दृष्टिकोण जो वित्त, आधारभूत संरचना, कौशल विकास, बाज़ार संपर्क, और संस्थागत क्षमता निर्माण को एकीकृत करे. अपने विकासात्मक अधिदेश, अपनी जिला-स्तरीय उपस्थिति, और सहयोगी नेटवर्क के साथ नाबार्ड, इस रूपांतरण का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है.

ग्रामीण एमएसएमई सेक्टर को सुदृढ़ कर, नाबार्ड आधार-स्तरीय उद्यमों की समस्त संभाव्यताओं के द्वार पूरी तरह से खोलने में सहायता कर सकता है, और विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सार्थक योगदान दे सकता है - ऐसा भारत जो वर्ष 2047 तक समृद्ध, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बन चुका हो.

नोट

1. https://dashboard.msme.gov.in/ (दिनांक 29 जून 2025 की स्थिति के अनुसार).
2. भारत सरकार (2024), दिनांक 22 जुलाई 2024 की एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सूचना कार्यालय विज्ञप्ति. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035073.
3. भारत सरकार (2024), दिनांक 22 जुलाई 2024 की एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सूचना कार्यालय विज्ञप्ति. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2035073.
4. भारत सरकार (2024), आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf.
5. एमओएसपीआई (2024), असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2023-24, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, अक्तूबर 2023 - सितंबर 2024 में प्रस्तुत डेटा के अनुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), 73वाँ संस्करण, "असंगठित

गैर-कृषि उद्यम”, 2015-16 (नवीनतम पूर्ण संस्करण) डेटा. https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ASUSE_2023_24_Full_Report-L.pdf.

6. नीति आयोग (2025), एन्हांसिंग एमएसएमई कम्पीटीटिवनेस इन इंडिया: अ रोडमैप फॉर ग्रोथ, भारत सरकार. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-05/Enhancing_Competitiveness_of_MSMEs_in_India.pdf.
7. एमओएसपीआई (2025), आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) - 2024 हेतु प्रमुख रोज़गार बेरोज़गार संकेतक, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र सूचना कार्यालय के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति, 09 अप्रैल 2025. https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2120359.
8. एमएसएमई मंत्रालय (2024), वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, विवरणी सं. 2.3: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों का प्रतिशत वितरण (पुरुष/ महिला स्वामित्व और श्रेणी वार), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 25. https://www.msme.gov.in/sites/default/files/FINALMSMEANNUALREPORT2023-24ENGLISH.pdf.
9. एमओएसपीआई (2024), असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण 2023-24, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, अक्तूबर 2023 - सितंबर 2024. https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ASUSE_2023_24_Full_Report-L.pdf.
10. सिडबी (2025), अंडरस्टैन्डिंग इंडियन एमएसएमई सेक्टर: प्रोग्रेस एंड चैलेंजेज़. https://www.sidbi.in/uploads/Understanding_Indian_MSME_sector_Progress_and_Challenges_13_05_25_Final.pdf.
11. नीति आयोग (2025), एन्हांसिंग एमएसएमई कम्पीटीटिवनेस इन इंडिया: अ रोडमैप फॉर ग्रोथ, भारत सरकार. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-05/Enhancing_Competitiveness_of_MSMEs_in_India.pdf.
12. खंड 2.4 के संदर्भ:
    - Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Central Schemes. https://msme.gov.in/central-schemes.
    - Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Reports and Publications. https://msme.gov.in/documents/reports-and-publications.
    - https://msme.gov.in/1-prime-ministers-employment-generation-programme-pmegp.
    - https://msme.gov.in/entrepreneurship-and-skill-development-programs.
    - https://www.nimsme.gov.in/about-scheme/assistance-to-training-institutions-ati-scheme.
    - https://msme.gov.in/sites/default/files/Coir-Vikas-YojanaContents.pdf.
    - https://www.nimsme.gov.in/about-scheme/a-scheme-for-promotion-of-innovation-rural-industries-andentrepreneurship-aspire-.
    - https://www.dcmsme.gov.in/TR_TDC.aspx.
    - National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises (ni-msme), ‘SELF RELIANT INDIA (SRI) FUND Empowering MSMEs for Aatmanirbhar Bharat’. https://www.nimsme.gov.in/about-scheme/self-reliant-indiasri-fund-empowering-msmes-for-aatmanirbhar-bharat”SELF.
    - https://ramp.msme.gov.in/ramp/.
    - https://www.mudra.org.in/. Mudra = Micro Units Development & Refinance Agency Ltd.
    - https://dcmsme.gov.in/CLCS_TUS_Scheme/Cluster-Development-Programme/Scheme_Guideline.aspx.
    - Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries.
    - https://msme.gov.in/scheme-fund-regeneration-traditional-industries.
    - https://www.dcmsme.gov.in/schemes/RevisedGuidelines_NER_Sikkim2025.pdf.
    - https://www.scsthub.in/sites/default/files/Revised%20NSSH%20Guidelines.PDF.
    - https://pmvishwakarma.gov.in/cdn/MiscFiles/eng_v30.0_PM_Vishwakarma_Guidelines_final.pdf.
13. ऐसी संस्थाओं में राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान; खादी और ग्रामोद्योग आयोग; कॉयर बोर्ड; टूल रूम; महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान; और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम शामिल हैं.